राजस्थान राज्य अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर

सी–7ए, सुल्तान हाऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-4004914

क्रमांकः/आर.एस.ए.एच.सी/परीक्षा/2024/1334 दिनांकः 20/12/2024

प्रधानाचार्य,
समस्त सम्बद्ध पैरामेडिकल कॉलेज/संस्थान,
राजस्थान राज्य अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल,
जयपुर, राजस्थान।

विषयः– राजस्थान राज्य अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर के द्वारा आयोजित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष मुख्य सैद्धान्तिक परीक्षा सत्र 2022–23 एवं रिमाण्डेड/पूरक परीक्षा सत्र 2021–22, 2020–21, 2019–20 **माह–अप्रैल–2024** के सभी कोर्सो के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के ऑनलाईन आवेदन–पत्र आमंत्रित करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान राज्य अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर के द्वारा आयोजित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष मुख्य सैद्धान्तिक परीक्षा सत्र 2022–23 एवं रिमाण्डेड/पूरक परीक्षा सत्र 2021–22, 2020–21, 2019–20 **माह–अप्रैल–2024** के सभी पाठ्यक्रमों का दिनांक 06.12.2024 को जारी परीक्षा परिणाम से सम्बन्धित पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के ऑनलाईन आवेदन–पत्र दिनांक 12.12.2024 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 20.12.2024 की मध्य रात्रि तक ऑनलाईन आवेदन भरवाये जा रहे है।

परन्तु किसी कारणवश से ऑनलाईन Tenchnical issue के कारण ऑनलाईन आवेदन की दिनांक 12.12.2024 से दिनांक 24.12.2024 तक बढ़ाई जाती है।

पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन–पत्र ऑन–लाईन की दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना राजस्थान राज्य अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर के नियम/विनियम के अनुसार होंगे।
2. अभ्यार्थी अपना आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस हेतु वर्णित नियम व टिप्पणियों को बेवसाईट पर ध्यानपूर्वक पढ़ें।
3. अभ्यार्थी को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम की सूचना जब तक प्राप्त नहीं हो जाती, अभ्यार्थी अपना परिणाम अपरिवर्तित मानते हुए तदनुसार आगे की कार्यवाही करें।
4. अभ्यार्थी पुनर्मूल्यांकन हेतु थ्योरी के कुल प्रविष्ट पेपर्स के कुल 50 प्रतिशत पेपर्स में ही पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन कर सकता/सकती है। यदि किसी विषय के दो पेपर हैं तो उनकी अलग–अलग पेपर के रूप में गिनती की जायेगी। यदि किसी पेपर में दो सेक्शन है, उदाहरणार्थः– सेक्शन–ए–और सेक्शन–बी तो अभ्यर्थी चाहे सेक्शन–ए अथवा सेक्शन–बी अथवा दोनो सेक्शन में पुनर्मूल्यांकन करवा सकता है, परन्तु इसको एक ही पेपर माना जायेगा। यदि छात्र थ्यौरी के कुल पॉच पेपर्स में प्रविष्ट हुआ है तो नियमानुसार 2.5 पेपर्स में आवेदन करने योग्य है। अतः पेपर्स को राउण्ड ऑफ करते हुए 3 पेपर्स में आवेदन कर सकता है। फीस प्रति– उत्तरपुस्तिका के हिसाब से चार्ज की जायेगी।
5. अभ्यार्थी पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु थ्योरी पेपर्स में ही आवेदन कर सकता है, फीस प्रति उत्तरपुस्तिका के हिसाब से चार्ज की जायेगी।
6. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना छात्रों को दी गई एक विशेष सुविधा है, पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना परिणाम के फलस्वरूप प्रवेश एवं राजस्थान राज्य अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल की परीक्षा में बैठने की अनुमति के संबंध में किसी भी प्रकार की विशेष रियायत संबंधी नियम/विनियम के विपरीत देने के लिए राजस्थान राज्य अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल बाध्य नही होगा।

7. यदि अभ्यर्थी नियम से अधिक विषयों/उत्तरपुस्तिका में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना भर देता है अथवा एक से ज्यादा बार पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना फॉर्म भरकर ऑनलाईन शुल्क जमा करा देता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यार्थी का आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
8. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के आवेदन की राशि राजस्थान राज्य अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल नियम/विनियम–2015 के शेड्यूल 16 (11, 12) निम्नानुसार हैः–

क्र सं.	विवरण	शुल्क
1	पुनर्मूल्यांकन शुल्क प्रति पेपर	500/–
2	पुनर्गणना शुल्क प्रति पेपर	200/–

आपको निर्देशित किया जाता है कि सभी छात्र/छात्राओं को आप अपने स्तर से सूचित करें कि पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र दिनांक 12.12.2024 से दिनांक 24.12.2024 तक **संस्थान/कॉलेज के कार्यालय से ही ऑनलाईन आवेदन फॉर्म भरवाये जायेंगें जिससे आवेदन फॉर्म में त्रुटियां होने की संभावना नही रहेगी।**

(उत्तम सिंह शेखावत)
सचिव
राजस्थान राज्य अलाइड एण्ड
हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर

क्रमांकः/आर.एस.ए.एच.सी/परीक्षा/2024/1334 दिनांकः 20/12/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।
1. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर।
2. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान राज्य अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर।
3. गोपनीय अनुभाग, राजस्थान राज्य अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर।
4. प्रभारी सर्वर रूम (राजस्थान राज्य अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल,) को प्रेषित कर लेख है कि वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

(उत्तम सिंह शेखावत)
सचिव
राजस्थान राज्य अलाइड एण्ड
हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर